

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल - 462021

क./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./ 2007-08/11/1536

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

:: आदेश ::

प्रचलित विभागीय भर्ती तथा पदोन्नति नियम-1982 एवं नियमों में राजपत्र दिनांक 21.03.2007 द्वारा किये गये संशोधन तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.07.2008 में समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय (वेतनमान 5500-175-9000) को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान 6500-200-10500) के पद पर पदोन्नत किया जाकर कालम-6 में अंकित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	प्र.अ. मावि के पद पर राज्य वरिष्ठता क्रमांक	जिला	लोक सेवक का नाम	कार्यरत संस्था	पदोन्नति उपरांत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	9	जबलपुर	श्रीमती के. खुरचानिया	शामावि करौंदी ग्राम	कार्यालय वि.खं.शि.अ. सौंसर जिला-छिंदवाडा
2	10	जबलपुर	श्रीमती एस.मेहता	शामावि चेरीताल	कार्यालय वि.खं.शि.अ. लांजी जिला-बालाघाट
3	13	जबलपुर	श्री आर.के.जैन	शामावि गोलकपुर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. चिचली जिला-नरसिंहपुर
4	14	जबलपुर	श्रीमती के.बजाज	शामावि छापर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. नरसिंहपुर जिला-नरसिंहपुर
5	15	जबलपुर	श्रीमती जी.गुप्ता	शामावि तवेर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. गोटेगांव जिला-नरसिंहपुर
6	19	जबलपुर	श्री आर.पी.मिश्रा	कार्यालय बीईओ मझौली	कार्यालय वि.खं.शि.अ. मझौली जिला- जबलपुर
7	51	छतरपुर	श्रीमती रामकुमारी चौहान	उ.मा.वि.कन्या बड़ामलहरा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. वारीगढ़ जिला-छतरपुर
8	62	रीवा	श्रीमती अरुणा दुबे	पी.के.रीवा शाउमावि	कार्यालय वि.खं.शि.अ. पोरसा जिला-मुरैना
9	64	रीवा	श्री कौशलेन्द्र नाथ पाठक	शा. क.उमावि चाकघाट	कार्यालय वि.खं.शि.अ. अटेर जिला-भिण्ड

10	30 - A	सिवनी	श्री आर.एस.राहंगडाले	शाउमावि बरघाट	कार्यालय वि.खं.शि.अ. केवलारी जिला-सिवनी
11	80	रीवा	श्री गंगा प्रसाद पटेल	मिडिल स्कूल लक्ष्मणपुर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. अशोकनगर जिला-अशोकनगर
12	81	रीवा	श्री भगवत प्रसाद शुक्ला	शा.हा.से. स्कूल मझियार	कार्यालय वि.खं.शि.अ. मुंगावली जिला-अशोकनगर
13	85	सतना	श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह	शापूर्वमावि गंगवरिया	कार्यालय वि.खं.शि.अ. टिमरनी जिला-हरदा
14	90	दमोह	श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा	शामावि बम्हौरी माला	कार्यालय वि.खं.शि.अ. बडौद जिला- शाजापुर
15	91	दमोह	श्री जिनेन्द्र कुमार जैन	शामावि समनापुर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. जबेरा जिला-दमोह
16	92	सागर	श्रीमती रामसखी मिश्रा	शामावि क.पर्व खुरई	कार्यालय वि.खं.शि.अ. सागर जिला-सागर
17	103	सीहोर	श्री जी सी रावत	शामावि टेगौर प्रथम	कार्यालय वि.खं.शि.अ. ब्यावरा जिला-राजगढ़
18	105	भोपाल	श्रीमती नजमा मंजूर	शामावि पुतलीघर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. बैरसिया जिला-भोपाल
19	106	रायसेन	श्री आर.के.सैनी	शाउमावि देहगांव	कार्यालय वि.खं.शि.अ. औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन
20	107	दमोह	श्री गोविन्द दास विश्वकर्मा	शामावि क.तेंदूखेड़ा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. चंदेरी जिला-अशोकनगर
21	118	छतरपुर	कुमारी कमल खरे	उ.मा.वि.कन्या हरपालपुर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. लोहड़ी जिला-छतरपुर
22	119	छतरपुर	श्रीमती सरस्वती मिश्रा	मा.शा.शुकलाना छतरपुर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. राजनगर जिला-छतरपुर
23	120	छतरपुर	श्री प्रतापभान सिंह	मा.शा.महाराजगंज	कार्यालय वि.खं.शि.अ. बमोरी जिला-गुना
24	121	दमोह	श्री रमेशचंद जैन	शामावि सूखा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. राघौगढ़ जिला-गुना
25	127	टीकमगढ़	श्री एस.एस.यादव	शामावि खंड-1 निवाड़ी	कार्यालय वि.खं.शि.अ. आरोन जिला-गुना
26	136	रतलाम	श्री प्रकाश भाटी	शामावि भीमाखेड़ी	कार्यालय वि.खं.शि.अ. रतलाम जिला-रतलाम
27	137	रतलाम	श्री मनोहर चीने	शामावि पंचेवा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. आलोट जिला-रतलाम
28	138	रतलाम	श्री सुरेन्द्र कोठारी	शामावि विनोबा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. विदिशा जिला-विदिशा
29	140	रतलाम	श्री माणकलाल भटेवरा	शामावि भेसाना	कार्यालय वि.खं.शि.अ. कूरवाई जिला-विदिशा
30	144	रतलाम	श्री सुरेन्द्र सिंह पुराहित	शामावि डीईएफ लाईन रतलाम	कार्यालय वि.खं.शि.अ. लटेरी जिला-विदिशा

31	154	उज्जैन	श्री कैलाशचंद्र वैध	मा.वि.नईपेठ-1 उज्जैन	कार्यालय वि.खं.शि.अ. तराना जिला-उज्जैन
32	157	उज्जैन	श्री हुकुमसिंह चौहान	बा.मा.वि.माकड़ोन	कार्यालय वि.खं.शि.अ. बड़नगर जिला-उज्जैन
33	160	उज्जैन	श्री कमलनयन चौदनीवाला	मा.वि. देसाईनगर, उज्जैन	कार्यालय वि.खं.शि.अ. महिदपुर जिला-उज्जैन
34	166	मंदसौर	श्री एम.अल्ताफ बैग	शामावि आदर्श गांधीसागर-3	कार्यालय वि.खं.शि.अ. नीमच जिला-नीमच
35	167	इंदौर	श्री नरेन्द्र जैन	क. शामावि राउ	कार्यालय वि.खं.शि.अ. टोकखुर्द जिला-देवास
36	185	उज्जैन	श्री भूपेन्द्र कुमार शाह	मा.वि. बामोरा, उज्जैन	कार्यालय वि.खं.शि.अ. प्रभातपट्टन जिला-बैतूल
37	186	उज्जैन	श्री रमेशचन्द्र गोयल	मा.वि. नलवा उज्जैन	कार्यालय वि.खं.शि.अ. आमला जिला-बैतूल
38	192	नरसिंहपुर	श्रीमती राजकुमारी पटेल	शामावि रामपिपरिया	कार्यालय वि.खं.शि.अ. करेली जिला-नरसिंहपुर
39	194	नीमच	श्री रमेशचन्द्र सिंहल	शा.मा.वि.बा., बघाना	कार्यालय वि.खं.शि.अ. भानपुरा जिला-मंदसौर
40	195	रतलाम	श्री रमेशचंद्र उपाध्याय	शामावि बोर्डिया कुआं जावरा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. शुजालपुर जिला-शाजापुर
41	196	सागर	श्रीमती कोकिला जैन	शामावि मकरोनिया	कार्यालय वि.खं.शि.अ. रेहली जिला-सागर
42	198	सागर	श्रीमती रामवती अहिरवार	शामावि न.क.खुरई	कार्यालय वि.खं.शि.अ. मालथौन जिला-सागर
43	205	विदिशा	श्री जे.के. जैन	शा.मा.वि. गुलाबगंज	कार्यालय वि.खं.शि.अ. ग्यारसपुर जिला-विदिशा
44	207	रायसेन	श्री जे.के. पुरोहित	शा.मा.वि.बाडीकला	कार्यालय वि.खं.शि.अ. उदयपुरा जिला-रायसेन
45	208	राजगढ़	श्री एम.के. विजय	सर्व शिक्षा अभियान राजगढ़	कार्यालय वि.खं.शि.अ. नरसिंहगढ़ जिला-राजगढ़
46	217	दतिया	श्री जान मोहम्मद खां	शा.मा.वि. बडोलकलां	कार्यालय वि.खं.शि.अ. भाण्डेर जिला-दतिया
47	220	मुरैना	श्री राम प्रकाश सिंह सिकरवार	शा.मा.वि रामपहाडी	कार्यालय वि.खं.शि.अ. मुरैना जिला-मुरैना
48	221	मुरैना	श्री डी.पी शर्मा	शा.मा.वि. एस.एफ. मुरैना	कार्यालय वि.खं.शि.अ. जौरा जिला-मुरैना
49	224	जबलपुर	श्री राजकुमार बडगैया	शा.मा.शा. सिंहोरा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. कटंगी जिला-बालाघाट
50	227	सागर	श्री आर.सी. जैन	शा. नवीन पूर्व मा. शाला गढाकोटा सागर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. रोन जिला-भिण्ड
51	228	सागर	श्रीमती कृष्णा गोस्वामी	शा. कन्या उ.मा.वि. खुरई	कार्यालय वि.खं.शि.अ. बनखेडी जिला-होशंगाबाद
52	229	टीकमगढ़	श्री बृजेन्द्र कुमार खरे	शा.मा.शा. बम्होरी अब्दा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. श्योपुर जिला-श्योपुर
53	231	सतना	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा	शा.मा.वि. रामगढ़ जि-सतना	कार्यालय वि.खं.शि.अ. नटेरन जिला-विदिशा

✓

✓

54	231-A	सतना	श्री आनंद प्रकाश तिवारी	शा.उ.मा.वि महुडर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. डबरा जिला-ग्वालियर
55	232	रीवा	श्री रामपति तिवारी	शा.मा.वि.जरहा मनगवां	कार्यालय वि.खं.शि.अ. गंजबासौदा जिला-विदिशा
56	235	रीवा	श्री श्यामसुंदर शर्मा	शा.हाईस्कूल बरसैता	कार्यालय वि.खं.शि.अ. अम्बाहं जिला-मुरैना
57	289	इंदौर	श्री रामप्रसाद चौहान	बीआरसी देपालपुर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. खातेगांव जिला-देवास
58	398	कटनी	श्रीमती कौशिल्या देवी	शामावि नदीपार कटनी	कार्यालय वि.खं.शि.अ. पिपरिया जिला-होशंगाबाद
59	484	उमरिया	श्री टी.एल. प्रजापति	शामावि सिगुडी	कार्यालय वि.खं.शि.अ. बाड़ी जिला-रायसेन
60	537	रीवा	श्री शिव भजन मांझी	शा.मा.वि. जमुई	कार्यालय वि.खं.शि.अ. पिछोर जिला-शिवपुरी
61	574	रीवा	श्री सूर्यदीन साकेत	शा.मा.वि. झलवार	कार्यालय वि.खं.शि.अ. पहाड़गंज जिला-मुरैना
62	585	रीवा	श्री मोती लाल साकेत	शाउमावि खैरागंगेव	कार्यालय वि.खं.शि.अ. खनियाधाना जिला-शिवपुरी
63	587	रीवा	श्री समोधी प्रसाद साकेत	शाउमावि खूटहा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. करेरा जिला-शिवपुरी
64	588	रीवा	श्री राजधर साकेत	शामावि बघरा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. केसली जिला-सागर
65	638	सतना	श्री जगतपाल पासी	शापूर्वमावि अर्जुनपुर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. लालबर्वा जिला-बालाघाट
66	657	गुना	श्रीमती शीला पथरोल	शा.मा.वि. घोसीपुरा	कार्यालय वि.खं.शि.अ. गुना जिला-गुना
67	291	धार	श्री प्रभात सिंह चौहान	शामावि दोत्रया	कार्यालय वि.खं.शि.अ. बदनावर जिला-धार
68	292	धार	श्रीमती ग्यारसी बाई	शामावि 7 धार	कार्यालय वि.खं.शि.अ. खण्डवा जिला-खण्डवा
69	306	इंदौर	श्री पन्नालाल सोलकी	शामावि छोटी कलमेर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. सिवनी-मालवा जिला-होशंगाबाद
70	326	खण्डवा	श्री वाय.एस.चौहान	शामावि केलवा खूर्द	कार्यालय वि.खं.शि.अ. सोहागपुर जिला-होशंगाबाद
71	358	जबलपुर	श्री के.एस.बड़कड़े	शामावि पड़वार (खितौला)	कार्यालय वि.खं.शि.अ. साईखेड़ा जिला-नरसिंहपुर
72	436	जबलपुर	श्रीमती एस.सरवटे	शामावि द्वारका नगर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. जबलपुर जिला-जबलपुर
73	449	सतना	श्री मनोहर लाल साकेत	शापूर्वमावि हरदुआ	कार्यालय वि.खं.शि.अ. जीरापुर जिला-राजगढ़
74	470	रीवा	श्री विसर्जन प्रसाद कोल	शामावि गोरगांव	कार्यालय वि.खं.शि.अ. अजयगढ़ जिला-पन्ना

75	481	उमरिया	श्री वंशधारी प्रसा. पठारी	शामावि टीकुरी	कार्यालय वि.खं.शि.अ. खेरलांजी जिला-बालाघाट
76	536	रीवा	श्री लल्ला प्रसाद रैतवार	शा मिडिल स्कूल कंधावर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. किरनापुर जिला-बालाघाट
77	541	इंदौर	श्री रंगलाल वर्मा	शामावि शेरपुर	कार्यालय वि.खं.शि.अ. हरदा जिला-हरदा
78	577	सतना	श्री कन्हैया लाल कोल	शापूर्वमावि बम्हौरी	कार्यालय वि.खं.शि.अ. खिरकिया जिला-हरदा
79	655	सीधी	श्री पुरुषोत्तम सिंह	शा.उ.मा.वि.पंजरेह	कार्यालय वि.खं.शि.अ. गुनौर जिला-पन्ना
80	692	सागर	श्री एम.एस.ठाकुर	शामावि क.देवरी नारदमऊ	कार्यालय वि.खं.शि.अ. खुरई जिला-सागर
81	747	रतलाम	श्री मांगीलाल डामर	शामावि इसरथुनी	कार्यालय वि.खं.शि.अ. शाजापुर जिला-शाजापुर

2/- पदोन्नति में वर्तमान में प्रचलित आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है ।

3/- उक्त पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन रहेगी :-


- 3.1 पदोन्नत लोक सेवक को पदोन्नति उपरांत पदस्थापना वाले जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 15.09.2008 तक पदभार ग्रहण करना होगा । **संलग्न प्रपत्र-1** में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थिति की जानकारी इस कार्यालय को एकीकृत रूप में प्रेषित की जायेगी । जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 17.09.2008 को निर्धारित प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.2008 को ही अपरान्ह में **संलग्न प्रपत्र-2** में पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना स्थान के लिए भारमुक्त किया जायेगा और उन्हें तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा । पदोन्नत लोक सेवक को नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्य भार ग्रहण करने हेतु किसी भी तरह के अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।
- 3.2 वर्तमान में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पूर्व से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत व्याख्याता नव पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के उपस्थित होने पर उन्हें प्रभार देकर अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे । इस हेतु **संलग्न प्रपत्र-3** में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तात्कालिक पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किये जायेंगे । ऐसे सभी व्याख्याताओं का जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयमान से रिक्त व्याख्याताओं के पद पर पदस्थापना का प्रस्ताव एकल नस्ती में एकीकृत रूप में जिला शिक्षा अधिकारी संचालनालय में दिनांक 22.09.2008 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे । जिले में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में तद्विषयक जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी उक्त दिनांक तक प्रस्तुत करेंगे ।
- 3.3 यदि पदोन्नत लोक सेवक निर्धारित तिथि 15.09.2008 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उस लोक सेवक की पदोन्नति स्वतः निरस्त हो जायेगी । यदि पदोन्नत लोक सेवक पदोन्नति से इन्कार करना चाहता है तो वह स्वयं के हस्ताक्षर के साथ इस आशय का आयुक्त लोक शिक्षण के नाम लिखित आवेदन दो प्रतियों में संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 15.09.2008 तक प्रस्तुत करेगा और ऐसी स्थिति में **संलग्न प्रपत्र-4** में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवकों को सूचित किया जायेगा और संबंधित संस्था प्रमुख एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे प्राप्त आवेदन दिनांक 17.09.2008 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के समक्ष इस प्रमाण के साथ प्रस्तुत

करें कि पदोन्नति अस्वीकार करने संबंधी टीप की प्रविष्टि लोक सेवक की सेवापुस्तिका में कर दी गई है। ऐसे प्राप्त आवेदन की एक प्रति भी लोक सेवक के व्यक्तिगत सेवा अभिलेख में संधारित किये जायेंगे। साथ ही ऐसे पदोन्नत लोक सेवक जिनके द्वारा दिनांक 15.09.2008 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी जाती और दिनांक 17.09.2008 के प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया जाता और पदोन्नति अस्वीकार करने की लिखित सूचना भी नहीं दी जाती उनके संबंध में **संलग्न प्रपत्र-5** में संबंधित लोक सेवकों को उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त हो जाने की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी। यह कार्रवाई संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अत्यन्त सतर्कता एवं तत्परता के साथ की जायेगी ताकि पदोन्नति अस्वीकार करने वाले लोक सेवक के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से लोक सेवकों को पदोन्नत किया जाकर पद पूर्ति की जा सकें।

- 3.4 मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम - 2002 की कण्डिका 6 (15) के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवक को ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इन्कार करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति के उद्भूत होने तक, जो भी पश्चातवर्ती हो पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
- 3.5 पदोन्नत लोक सेवक द्वारा पदोन्नति का लाभ नहीं लेने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र./एफ1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 05.07.2002/23.09.2002 के प्रावधान अनुरूप उसे 24 वर्ष की सेवा उपरांत दिये गये क्रमोन्नत वेतनमान के लाभ की पात्रता नहीं रहेगी। किन्तु ऐसे प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है और पूर्व में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत नहीं हुये हैं, उन्हें यह विकल्प रहेगा कि वह भविष्य में व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का परित्याग कर सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।
- 3.6 पदोन्नत लोक सेवक को 12 वर्ष की सेवा उपरान्त दिये गये वरिष्ठ वेतनमान को पदोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति में भी वापस नहीं लिया जायेगा।
- 3.7 पदोन्नत लोक सेवक का मूल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होना चाहिए। यदि आदिवासी विकास विभाग या अन्य विभाग का लोक सेवक पदोन्नत हो गया है तो वह कार्य मुक्त नहीं होगा तथा न ही उसे कार्य मुक्त किया जायेगा और न ही उसे पदोन्नत पद पर कार्य भार ग्रहण कराया जायेगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने की दशा में जहाँ संबंधित लोक सेवक द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा वही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी वस्तुस्थिति की जानकारी अधोस्ताक्षरकर्त्ता को अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा तत्काल प्रेषित की जायेगी। परन्तु यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के मध्य राज्य शासन के लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुपालन में परस्पर स्थानांतरित संस्थाओं में से कोई लोक सेवक मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र./एफ-44-27/94/20-2, दिनांक 03.01.2006 के अर्न्तगत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलिप्त हुआ है और पदोन्नत किया गया है तो वह पदोन्नति का हकदार होगा और उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
- 3.8 यदि पदोन्नत लोक सेवक के नाम, प्रवर्ग एवं वरिष्ठता इत्यादि में कोई अन्तर है तो ऐसे लोक सेवक को कार्य मुक्त न करते हुये उसके संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी इस कार्यालय को दिनांक 17.09.2008 तक उपलब्ध कराई जाये ताकि आवश्यक संशोधन/पदोन्नति आदेश की निरस्ती इत्यादि की कार्रवाई समयावधि में की जा सकें।

- 3.9 पदोन्नत लोक सेवक को जिस प्रवर्ग में पदोन्नत किया गया है उसी प्रवर्ग का होना आवश्यक है । परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के लोक सेवक पदोन्नति हेतु अनारक्षित प्रवर्ग की श्रेणी में नियमानुसार मान्य होंगे । इसके अतिरिक्त आरक्षित प्रवर्ग के वे लोक सेवक जो गुणानुक्रम में अनारक्षित प्रवर्ग के अन्तर्गत पदोन्नत हुये है वे भी पदोन्नति हेतु अनारक्षित प्रवर्ग मान्य रहेंगे ।
- 3.10 यदि पदोन्नत लोक सेवक निलंबित हो अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण इत्यादि वर्तमान में प्रचलित हो अथवा उसे पदोन्नति/पदस्थापना के संबंध में न्यायालयीन स्थगन इत्यादि का लाभ प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में उसे पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके संबंध में तथ्यात्मक प्रस्ताव अभिलेख के साथ दिनांक 17.09.2008 तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 3.11 यदि जिले के किसी प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय की वरिष्ठता का हनन हुआ है और वह पदोन्नति से छूट गया है और उसी प्रवर्ग के उससे कनिष्ठ अन्य लोक सेवक पदोन्नत हो गया है तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ लोक सेवक को पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी और ऐसे छूटे हुये वरिष्ठता क्रम में आने वाले लोक सेवक के प्रकरण पर नियमानुसार विचार किया जायेगा । इस स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 17.09.2008 तक तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करेंगे ।
- 3.12 पदोन्नति आदेश का गुणानुक्रम ही पदोन्नत पद का वरिष्ठता क्रम रहेगा एवं पदोन्नति आदेश का दिनांक ही पदोन्नत पद की वरिष्ठता तिथि रहेगी । वरिष्ठता के संबंध में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि संदर्भ तिथि नहीं रहेगी ।
- 3.13 पदोन्नत लोक सेवक के वर्तमान संस्था प्रमुख/जिला शिक्षा अधिकारी पदोन्नत लोक सेवक को दी गई समय-सीमा में कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने के लिए उत्तरदायी रहेंगे । इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- 3.14 यदि उल्लेखित शर्तों का निर्देशानुसार समय-सीमा में पालन नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित लोक सेवक, संस्था प्रमुख एवं जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं उत्तरदायी रहेंगे ।
- 3.15 यह आदेश जारी होने के बाद आदेश में वर्णित अधिकारियों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा यदि कोई नव पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी चिकित्सा अवकाश पर है, या चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- 3.16 आदेश में निम्नानुसार प्रवर्ग की वरिष्ठता एवं दिनांक के लोक सेवक पदोन्नत हुये है :-
- अनारक्षित प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रमांक 235 दिनांक 19.05.86
 - अनुसूचित जाति के वरिष्ठता क्रमांक 657 दिनांक 23.07.94
 - अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठता क्रमांक 747 दिनांक 29.04.95


संलग्न :- उक्तानुसार प्रपत्र 1 से 5


संचालक 09/08

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी /माननीय राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग-मध्यप्रदेश की ओर व्यक्तिगत स्तर से मानीटर करने एवं पालन सुनिश्चित कराने हेतु पालनार्थ ।
6. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त मुख्य कार्य पालन अधिकारी,, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त कोषालय अधिकारी,, मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. सहायक संचालक (स्थापना-1 एवं 3) स्थानीय की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक संचालक (कम्प्यूटर) स्थानीय की ओर आज ही आदेश स्कैन कर ई-मेल सभी जिलों करने एवं जारी आदेश को विभागीय वेबसाइट पर रखने हेतु पालनार्थ ।
12. समस्त विभागीय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, मध्यप्रदेश ।
13. संबंधित पदोन्नत लोक सेवक _____
की ओर सूचनार्थ तथा निर्धारित समयावधि में पालनार्थ ।


संचालक 06/09/08
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/.....~~15.36.37~~ दिनांक 06.09.2008 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर उनके सामने दर्शाये विकास खण्ड में पदस्थ किया गया है। संबंधित पदोन्नत लोक सेवक ने संचालनालय के आदेश के अनुक्रम में नीचे दर्शाये अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदभार ग्रहण कर अपनी उपस्थिति दे दी है।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	नाम एवं पदांकित संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना वाले विकास खण्ड का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पद ग्रहण करने का दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

पृष्ठां.क्रमांक /

.....दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्यकी ओर सूचनार्थ ।
3. संबंधित.....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/1536-37 दिनांक 06.09.2008 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को उनके सामने दर्शाये गये विकास खण्ड में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर पदस्थापना की गई है। उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण उपरांत पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिये आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद उन्हें पदांकन विकास खण्ड के लिये दिनांक 17.09.2008 को अपरान्ह में भारमुक्त किया जाता है।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का नाम	नव पदांकित विकास खण्ड कार्यालय का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

पृष्ठां क्रमांक /
प्रतिलिपि:-

.....दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्यकी ओर सूचनार्थ ।
3. संबंधित.....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/...1536-37, दिनांक 06.09.2008 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय संवर्ग से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस पदोन्नति आदेश के फलस्वरूप विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पूर्व पदस्थ निम्नलिखित व्याख्याताओं को पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यमुक्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया जाता है। संबंधित की विषयवार पदस्थापना का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से जारी किया जाएगा।

स. क्र.	व्याख्याता का नाम	विषय	कार्यरत संस्था का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

पृष्ठां.क्रमांक /
प्रतिलिपि:-

.....दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्यकी ओर सूचनार्थ ।
3. संबंधित.....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/.....15.36-37., दिनांक 06.09.2008 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय संवर्ग से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नतियां की गई है । इस आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को उनके सामने दर्शाये विकास खण्ड में पदोन्नत कर पदस्थ किया गया था । संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा लिखित में यह सूचित किया गया है कि वे स्वैच्छिक रूप से पदोन्नति का परित्याग कर रहे है और वे पदोन्नति पर नहीं जाना चाहते हैं । अतः लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/.....15.36-37., दिनांक 06.09.2008 के अनुक्रम में उपरोक्त प्रधानाध्यापक का विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का उक्त आदेश अप्रभावी हो गया है ।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	प्रधानाध्यापक का नाम एवं कार्यरत संस्था	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना के विकास खण्ड का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

पृष्ठां.क्रमांक /

.....दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्यकी ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित की सेवा पुस्तिका में उक्त आशय की प्रविष्टि अंकित करें। ।
3. संबंधित.....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/.....15.36-37..... दिनांक 06.09.2008 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय संवर्ग से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति कर पदस्थापना की गई है। इस आदेश में यह उल्लेखित है कि दिनांक 15.09.2008 तक जो पदोन्नत लोक सेवक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदोन्नति की उपस्थिति नहीं देगे, उनका पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। संचालनालय के उक्त आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित विकास खण्ड में पदस्थ किया गया था। उन्होंने निर्धारित तिथि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी है। अतः संचालनालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 06.09.2008 के अनुक्रम में संबंधित प्रधानाध्यापक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त हो गया है। संबंधित को सूचनार्थ यह आदेश जारी किया जा रहा है।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	प्रधानाध्यापक का नाम एवं कार्यरत संस्था	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना वाले विकास खण्ड का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

पृष्ठां क्रमांक /

.....दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी

.....